अपील सूचना अधिकार संख्या 127/2016 अनवानी श्री जगदीश इन्दलीया पुत्र श्री दुलाराम निवासी वार्ड न0 1 श्रीकरनपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

23.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगदीश इन्दलीया उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जगदीश इल्दलियां ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 13 जनवरी 2016 को गांव 82 आर.बी. में ऑनर किलिंग में पिता द्वारा अपनी पुत्री (रजनी) की हत्या के संबंध में हत्या से पूर्व व हत्या के बाद लिये गये पुलिस बयान नोटशीट, एसडीएम कार्यलय में दिये गये बयान जिसमें मृतका रजनी, नवदीप व पिता के बयानो की तथा पुलिस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1280 दि0 24.08.2016 व 1505 दिनांक 07.09.2016 प्रस्तुत किया है कि रजनी देवी पुत्री निरायण राम जाति जाट द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 20.12.15 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को प्रेषित कर निवेदन किया था कि प्रार्थीया का विवाह उसके परिवार वाले जबरन करवाना चाहते है प्रार्थीया अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 28.12.15 को एस.एच.ओ. रायसिंहनगर को कार्यवाही करने के लिए भिजवाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना द्वारा दिनांक 04.01.16 को प्रार्थीया के पिता नारायणराम व भाई राजविन्द्र के विरूद्ध धारा 107–116(3) सीआरपीसी में इस्तगासा मय गैरसायलान को पेश किया गया व उसी दिन 04.01.16 को गैर सायलान को छः माह तक शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात दिनांक 08.01.16 को नवदीप पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 85 आरबी तहसील रायसिंहनगर ने धारा 97–98 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ शादी होने का दस्तावेज सलंग्न नही करने पर प्रार्थना पत्र थानाधिकारी रायसिंहनगर को दिनांक 08.01.16 को सदोष परिरोध की जाचं के लिए भिजवाया गया। थानाधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर धारा 97–98 सीआरपीसी का सर्च वारन्ट जारी नही किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन से यह ज्ञात नही होता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र में जो सूचना चाही गयी है, उसकी सूचना उपलब्ध करवाया जाना या निस्तारण किया जाना प्रतीत नही होता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है वह भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओ से संबंधित नही है जिससे प्रतीत होता है कि उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निस्तारण नही किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2016 का आदेश प्राप्ति से 7 दिवस में विधिवत रूप से निस्तारण करें। अपीलार्थी को जो सूचना देय बनती हो वह उसे निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और जो सूचना देय न हो तो कारण दर्शित करते हुए निस्तारण किया जावे। उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को यह भी हिदायत की जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का नियमानुसार विधिवत रूप से निर्धारित समय अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official